संख्या-77/2017/1188/26-3-2017-4(233)/1994

प्रेषक,

कामता प्रसाद

अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण

उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 15 मई, 2017

विषयः- समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित अनुसूचित जाति हेमवंती नंदन बहुगुणा छात्रावास लखनऊ के भवन किराये निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-38/स0क0/शिक्षा-ब/छात्रावास/ 2017-18, दिनांक-19.04.2017 तथा शासनादेश संख्या-2025/26-3-2010-4(233)/94, दिनांक-05.07.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल श्री संदीप सिंह एवं श्री राजीव सिंह मेहरोत्रा पुत्र श्री एस0पी0 सिंह के मकान संख्या-बी-1/56, सेक्टर, एच अलीगंज लखनऊ में संचालित अनुसूचित जाति हेमवंती नंदन बहुगुणा छात्रावास का वास्तविक कारपोरेट एरिया 1120 वर्ग फुट (104 वर्ग मी0) है, का भवन किराया जिलाधिकारी, लखनऊ संस्तुति सर्किल रेट के आधार पर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासकीय आदेश संख्या-ए-2-970/दस-96-24(7)/95, दिनांक-28.06.1996 एवं शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011- 24(7)-95, दिनांक-25.11.2011 में निहित व्यवस्था के अधीन निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	किराया निर्धारण की तिथि	निर्धारित किराया दर प्रति वर्ग मी0	भवन का क्षेत्रफल	किराया प्रति माह
1	01.10.2014 से 14.12.2014 तक	330	104 प्रति वर्ग मी0 (1120 वर्ग फुट)	34320-00
2	15.12.2014 से	360	104 प्रति वर्ग मी0	37440-00

(1)-उक्त भवन के किराये की अवधि अनुबंध के अनुसार 05 वर्ष की होगी।

(2)-किराये की स्वीकृति की सूचना नगर निगम, लखनऊ को भी दी दिया जाय।

(3)-उक्त भवन का गृह कर भवन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

(4)-उक्त भवन के किराये की अवधि अनुबंध नोटरी द्वारा प्रमाणित भवन का हलफनामा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त कर लिया जाय।

(5)-विभाग द्वारा उक्त के अतिरिक्त विभागीय रिक्त छात्रावासों की उपलब्धता को देखते हुये किराये पर छात्रावास की व्यवस्था को समाप्त करने हेतु आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी, जिससे विभागीय निर्मित छात्रावासों का उपयोग हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

कामता प्रसाद

अनुसचिव।

पृ0संख्या-77/2017/1188(1)/26-3-2017, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आॅडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-जिलाधिकारी, लखनऊ।

4-कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5-वित्त लेखा अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

6-अधिशासी अधिकारी, नगर निगम लखनऊ।

7-श्री संदीप सिंह एवं श्री राजीव सिंह मेहरोत्रा पुत्र श्री एस0पी0 सिंह के मकान संख्या-67, ख्यालीगंज, नाज सिनेमा रोड, लखनऊ।

8-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

9-निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।